

296

नं.सीपीपीआरआई/आरटीआई/2019/10/(आई)/

दिनांक: 14.10.2019

श्रीमति रीता टंडन,
वैज्ञानिक - जी
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत आपके प्रार्थना दिनांक 17.09.2019 के संबंध में।

महोदया,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2019 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम-2005 के अंतर्गत संस्थान को प्रेषित किया गया था, संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में सूचनीय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संस्थान के संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना पत्र दिनांक 14.10.2019 की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

डा. एम. के. गुप्ता
15/10/19
जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि: निजी सचिव: निर्देशक महोदय, सीपीपीआरआई

o/c

Received
15/10/19

15/10/19

Central Pulp & Paper Research Institute
Saharanpur

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VII

Dated 14.10.2019

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/2019/296 दिनांक 24.9.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्रीमती रीता टडन, सीपीपीआरआई, सहारनपुर के सूचना के अधिकार के आवेदन को इस विभाग को अग्रसारित किया गया है।

इस संबंध प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्र संख्या CPPRI/PF/1/93 dated Sept, 3, 2019 की एक प्रति प्रार्थिनी को सूचना हेतु भेजी जा रही है।

सलग्नक: उपरोक्तानुसार

अनूम सक्सेना

(ए.के. सक्सेना)
प्रशासनिक अधिकारी

डा. मनोज कुमार गुप्ता
वैज्ञानिक-एफ
जन सूचना अधिकारी, सीपीपीआरआई

Mrs Sarita Sharma - for needful pl.
MP/50



No. CPPRI/PF/1/93
Dated : Sept. 3.2019

To,

Sh. Arun Kumar
Under Secretary to Govt. of India
DIPP, Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhawan, NEW DELHI - 110 011

Subject : Disciplinary proceedings against Dr. Rajneesh Tandon, Scientist E-1 (Retd.) under Rule 14 of CCS Rules, 1965 - Release of retirement benefits.

Sir,

Kindly refer to our letter No. CPPRI/PF/1/93/304 dated 03 June 2019 and letter no. CPPRI/PF/1/93 dated 28th June 2019 (copies enclosed). seeking approval for release of retirement benefits of Dr. Rajnish Tandon except gratuity. Now, we have received a request from Dr. Tandon via e mail dated 29th Aug. 2019 for releasing his Contributory Provident Fund (Employer's share).

In this connection, it is to submit that there is no provision in our CPF Rules for holding payment of CPF Accumulation of any member due to disciplinary proceedings. Therefore, we request you to allow us to release Contributory Provident Fund (Employer's share) to Dr. Rajnish Tandon, Ex- Scientist E-1.

Payment of Gratuity and Encashment of Leave will only be released on receipt of the orders from Ministry.

Thanking you,

Yours faithfully



(A K Saxena)
Admin. Officer

Encl: As above

CC : Dr. Rajnish Tandon, Ex-Scientist E-1, CPPRI, Saharanpur